न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 93 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. भेपाराम पुत्र सुरजनरामजी 2. मूलाराम पुत्र सुरजनरामजी 3. दौलाराम पुत्र सुरजनरामजी 4. हड़मानराम पुत्र सुरजनरामजी जाति विश्नोई सभी निवासीयान डोली कलां तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा	1. करनाराम पुत्र सुरजनरामजी जाति विश्नोई निवासी डोली कलां तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर 3. शाखा प्रबन्धक, दी बाड़मेर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा कल्याणपुर जिला बालोतरा

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 38 / 2022 बउनवान करनाराम बनाम भेपाराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 17.04.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–01.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 1 (वादी) ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा डोली कलां में खेत खसरा संख्या 438 रकबा 06.17 बीघा, खेत खसरा संख्या 442 रकबा 07 बीधा कुल रकबा 13.17 बीघा आयी हुई है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का संयुक्त 3 / 5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 37 / 1385 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 517 / 1385 हिस्सा हैं। वादी अपने 1 / 5 हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं, लेकिन संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा बंटवारा नहीं होने के कारण भूमि की सीमाओं को लेकर पक्षकारान में आये दिन विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी अपने 1 / 5 हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराना चाहता है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद तामील एवं सूचना के अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटगण पर उपरोक्त स्थिति में विधिवत रूप से तामिली नहीं हुई है, जिस वजह से अपीलांट को न तो जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और न ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को अपनी शहादत पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया। उत्तरदाता संख्या 01 के द्वारा अपीलांट के हक अधिकार की जमीन हड़पने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर विना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही एकपक्षीय रूप से निर्णय करवा दिया। ताकि अपीलाधीन आराजी का विभाजन राजस्व मण्डल राजस्थान के विभाजन नियम 18 से 21 विपरीत किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/उत्तरदाता संख्या 01 के हिस्सा का विभाजन करने का निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अपीलांटगण व अन्य प्रतिवादीगण का विभाजन करने का निर्णय व डिक्री पारित नहीं की गई। कानूनन सभी काश्तकारों का विभाजन साथ में किया जाना आवश्यंक व अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के तथ्यों की प्रथम बार जानकारी दिनांक 21.08.2023 को तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा मौके पर विभाजन करने बाबत् हल्का पटवारी के जरिये नोटिस प्रेषित किया, तब वाद, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रथम बार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जानकारी हुई, जानकारी नहीं होने से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अपीलांट वृद्ध बीमार व्यक्ति हैं, जो इलाजरत हैं, इलाज के काजगजात संलग्न हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि प्रकरण गुणावगुणों पर सुदृढ एवं सशक्त हो तो परिसीमा का बिंदु गौण हो जाता है। इसलिए म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णीत किया जावे। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को ज़बावदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2023 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/उत्तरदातां संख्या 01 के हिस्से की घोषणा कर बंटवारा प्रस्ताव तलब किया गया। जबकि अपीलाधीन आराजी के अन्य सहखातेदारों के बंटवारे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ़ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2022 बउनवान करनाराम बनाम भेपाराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं

(नवनीत कु...)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री 17.04.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशन को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को जबाबदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2025 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

1/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर